अतिआवश्यक

औषधि नियंत्रण संगठन,
स्वास्थ्य भवन, कमरा नं0 304, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

कमांकः डीसी/2018/A-2/ 187

दिनांकः 5/4/2018

अध्यक्ष/सचिव,
राजस्थान केमिस्ट ऐसोसिएशन,
केमिस्ट ऐसोसिएशन, जयपुर।

अध्यक्ष/सचिव,
समस्त जिला केमिस्ट ऐसोसिएशन,
राजस्थान।

विषयः– वर्तमान में कार्यरत औषधि विकेताओं के औषधि अनुज्ञापत्रो से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार की बेवसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में औषधि नियंत्रण संगठन को ऑनलाईन किये जाने का निर्णय लिया गया जा चुका है जिसमें नवीन ऑनलाईन लाईसेंस आवेदन की प्रकिया दिनांक 17.09.2017 से शुरू की जा चुकी है। इसी कम में अब वर्तमान में कार्यरत औषधि विकेतओं की संस्थाओं को भी ऑनलाईन रजिस्टर्ड किया जाना है। जिसमें सभी औषधि विकेताओं को उनके औषधि अनुज्ञापत्र से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार की बेवसाईट https://sso.rajasthan.gov.in पर दिनांक 30 अप्रेल 2018 तक आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना है। अपलोड करने की प्रकिया की प्रति संलग्न है।

अतः आप अपने स्तर से समस्त औषधि विकेताओं को सूचित कर औषधि अनुज्ञापत्र से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार की बेवसाईट पर अपलोड कराने की प्रकिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करावें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (पेज 1:)।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर
दिनांकः

कमांकः डीसी/2018/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितं हैः–

1. माननीया अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. औषधि नियंत्रक–प्रथम, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
4. समस्त औषधि नियत्रंण अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने जिला व तहसील स्तर पर केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से विशेष केम्प आयोजित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा नियमित निरीक्षण के दौरान भी संस्थाओं की ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुनिश्चितता आवश्यक रूप से करें।
5. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त सभी को ईमेल कर विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड कराने का श्रम करावें।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर